ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2004

क्र. 2489-तेरह-2004.—इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 31 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जबलपुर में राज्य विद्युत भार प्रेषण केन्द्र की स्थापना करती है, जिसे राज्य पारेषण इकाई (स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटि) द्वारा संचालित किया जाएगा. जबलपुर में कार्यरत वर्तमान विद्युत भार प्रेषण केन्द्र इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के प्रयोजन के तहत् राज्य विद्युत भार प्रेषण केन्द्र होगा और उक्त अधिनियम के तहत गठित माना जाएगा.

No. 2489-XIII-2004.—In exercise of powers conferred bu sub-section (1) of Section 31 of Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003) the State Government hereby establishes State Load Despatch Centre (SLDC) at Jabalpur, which shall be operated by the State Transmission Utility (STU). The existing Load Despatch Centre Functioning at Jabalpur shall be the SLDC for the purposes of Electricity Act, 2003 and shall be deemed to have been consituted under this Act.

क्र. 2491-तेरह-2004.—इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को दिनांक 1 जून 2004 से स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटि के रूप में अधिसूचित करती है.

No. 2491-XIII-2004.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 39 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government hereby notifies the Madhya Pradesh Power Transmission Corporation Limited as the State Transmission Utility, with effect from 1 June 2004.

क्र. 2493-तेरह-2004.—इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 166 की उपधारा (4) एवं (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य समन्वय फोरम का गठन करती है जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे:—

(i) राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष

(ii) राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्यगण

(iii) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक.

(iv) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक.

(v) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक

(vi) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक.

(vii) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक.

(viii) राज्य शासन के ऊर्जा विभाग के एक प्रतिनिधि

(ix) मध्यप्रदेश विद्युत भार प्रेषण केन्द्र के एक प्रतिनिधि

2. राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष राज्य समन्वय फोरम के अध्यक्ष होंगे.

3. फोरम के अध्यक्ष द्वारा नामांकित राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य फोरम के सदस्य संयोजक होंगे.

4. समन्वय फोरम की बैठकें प्रत्येक 3 माह में एक बार अध्यक्ष समन्वय फोरम द्वारा निर्धारित तिथि को आयोजित की जायेंगी.

5. फोरम के सदस्यों द्वारा फोरम की बैठकों के आयोजन व संचालन के नियमों का निर्धारण किया जाएगा.

No. 2493-XIII-2004.—In exercise of powers conferred by sub-section (4) and (5) Section 166 of Indian Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003) the State Government hereby constitutes a Coordination Forum comprising of the following members:—

(a) Chairperson of the State Commission

(b) Members of the State Commission

(c) "Licensee" means a person who has been granted a licence under Section 14 of the Act.

3. **Manner of Service of Provisional Assessment Order of Unauthorised use of Electricity.**—(1) The provisional assessment order made by the assessing officer under Section 126 of the Act shall be served upon the person indulging in unauthorised use of electricity, any other person benefited by such use, the occupier or possessor of the premises or place within 5 days of the date of inspection.

(2) The order of provisional assessment shall be served in the form appended to these rules.

(3) If no person is available in the inspected premises to whom the provisional assessment order can be served with reasonable diligence or, if any person refuses to accept or avoids to receive such order it shall be affixed at the inspected premises in the presence of two witnesses and in such case an endorsement to that effect shall be made in the copy of such order. An assessment order so affixed shall be deemed to have been duly served to the person or persons mentioned in sub-rule (1) above.

(4) The person to whom the provisional assessment order has been served upon may file has objections or acceptance within 7 days from the date of receipt of the provisional order.

4. **Filling of Form.**—The form mentioned in these rules shall be filled in triplicate and filled up by using dual carbon.

5. **Designated assessing officers.**—For the purpose of provisional assessment under Section 126 of the Act, the following officers of the licensee shall be the assessing officers,—

(a) An officer not below the rank of Junior Engineer for all low-tension connection up to 15 horse power;

(b) An officer not below the rank of Assistant Engineer for all low-tension connections of more than 15 horse power;

(c) An officer not below the rank of Executive Engineer for all High-tension connections.

FORM

[See Rule 3 (2)]

Order of Provisional Assessment

No. . . . . . Dated . . . .

1. Name :
2. Address :
3. Consumer connection number, along- with purpose of connection (if any) :
4. Sanctioned load, if any :
5. Observations recorded (including details of load, unauthorized use, etc):
6. Basis adopted for assessment (the complete details, giving applicable tariff, number of working hours of appliances, machines and period of assessment) :
7. Computation on the basis of item number 6 :
8. Statement regarding reasonability:
9. Total amount in rupees (in figure and words) :

To,

Shri . . . .

Address . . . .

Whereas a case of unauthorized use of electricity has been detected in your premises and an amount of Rs. . . . . has been assessed for such use, you are hereby served this order of provisional assessment. If you accept this assessment, you are required to deposit the assessed amount within seven days of service of this order:—

Please not that in case you accept the order of provisional assessment you shall not be subjected to any further liability or any action by any authority.

In case there is any objection to the above assessment, you may submit the same within 7 days from the date of service of this order failing which this provisional order shall become automatically final.

Signature	Signature
Name of person/ occupant/possessor of the place or premises.	Name of assessing officer . . . . Designation . . . . Seal.

Endorsement in case of refusal to receive order of provisional assessment.

Signature of witnesses in case of refusal.

(1) Signature	(2) Signature
Name	Name . . . .
Address	Address . . . .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धीरज माथुर, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

Indian Electricity Rules, 1956-All rules excluding Chapter III, IX, X and Annexure I to VII and X to XII. Madhya Pradesh Cinemas (Regulations) Rules, 1972-Chapter four, Rules 72, 77, 78(3), 80, 81, 82 and 85.

Indian Standards

IS : 3043-1987	Code of Practice for earthing.
IS : 1646-1982	Code of Practice for fire safety of Industrial buildings, electrical generating and distributing stations.
IS : 900-1965	Code of Practice for installation and maintenance of induction motors.
IS : 10028-1981, 1982 and 1985 (all parts)	Code of Practice for selection, Installation and maintenance of transformers.
IS : 1866-1983	Code of Practice for maintenance and supervision of insulating oil service.
IS : 732-1982 and 1985 (all parts)	Code of Practice for electrical wiring installations.
IS : 10118-1982	Code of Practice for selection, installation and maintenance of switchgear and control gear.
IS : 5572-1978	Classification of hazardous area (other than mines) for electrical installations.
IS : 5571-1979	Guide for selection of electrical equipment for hazardous area.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आई. सी. जैन, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2004

क्र. 4300-तेरह-2004.—इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 180 के साथ पठित धारा 126 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत् (अनंतिम निर्धारण आदेश की तामील), नियम, 2004 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है इलेक्ट्रीसिटी एक्ट, 2003 (2003 का संख्यांक 36);

(ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ग) "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई हो.

3. विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के अनंतिम निर्धारण के आदेश को तामील करने की रीति.—(1) इस अधिनियम की धारा 126 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया अनंतिम निर्धारण आदेश उस व्यक्ति पर जो विद्युत् का अनाधिकृत उपयोग करने में लिप्त है, या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति पर जिसने ऐसे उपयोग से लाभ लिया है या ऐसे परिसरों या स्थानों के अधिभोगी या कब्जा रखने वाले पर, निरीक्षण की तारीख से 8 दिन के भीतर तामील किया जाएगा.

(2) अनंतिम निर्धारण आदेश इन नियमों से संलग्न प्ररूप में तामील किया जाएगा.

(3) यदि ऐसे निरीक्षण किए परिसर में कोई ऐसा व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो जिसे अनंतिम निर्धारण आदेश की तामील युक्तियुक्त तत्परता से की जा सके या यदि कोई व्यक्ति ऐसे आदेश को प्राप्त करने से इन्कार करता है या उसे प्राप्त करने से बचता है तो उस आदेश को निरीक्षण किए गए परिसर में दो साक्षियों की उपस्थिति में चस्पा किया जाएगा, और ऐसे मामले में इस प्रभाव का पृष्ठांकन ऐसे आदेश की प्रति में किया जाएगा.

इस प्रकार चस्पा किया गया निर्धारण आदेश ऊपर उपनियम (1) में उल्लिखित व्यक्ति या व्यक्तियों पर सम्यक् रूप से तामील कर दिया गया समझा जाएगा.

(4) ऐसा व्यक्ति जिस पर अनंतिम आदेश की तामील की जा चुकी है, ऐसे अनंतिम आदेश के प्राप्त होने से, सात दिन के भीतर अपनी आपत्तियां या स्वीकृति फाइल कर सकेगा.

4. प्ररूप का भरा जाना.—इन नियमों में उल्लिखित प्ररूप तीन प्रतियों में भरे जाएंगे तथा द्विसंख्यांक कार्बन का उपयोग करते हुए भरे जाएंगे.

5. पदाभिहित निर्धारण अधिकारी. इस अधिनियम की

धारा 126 के अधीन अनंतिम निर्धारण के प्रयोजन के लिये अनुज्ञप्तिधारी या निम्नलिखित अधिकारी निर्धारण अधिकारी होंगे :—

(क) 15 हार्स पॉवर तक समस्त निम्नदाब (लो-टेनशन) संयोजन हेतु कनिष्ठ यंत्री से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी;

(ख) 15 हार्स पॉवर से अधिक समस्त निम्नदाब (लो-टेनशन) संयोजन हेतु सहायक यंत्री से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी;

(ग) समस्त उच्च दाब (हाई टेनशन) संयोजन हेतु कार्यपालन यंत्री से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी.

प्ररूप

[नियम 3(2) देखिए]

अनंतिम निर्धारण का आदेश

क्रमांक . . . . . तारीख . . . .

1. नाम :

2. पता :

3. संयोजन के प्रयोजन (यदि कोई हों) के साथ उपभोक्ता संयोजन क्रमांक:

4. मंजूर दाब, यदि कोई हो :

5. अभिलिखित सम्प्रेषण (दाब का विवरण, अनधिकृत उपयोग को सम्मिलित करते हुए) :

6. निर्धारण हेतु अंगीकृत किए गए आधार (संधित्रों, मशीनों के कार्य के घंटों का लागू टैरिफ क्रमांक तथा निर्धारण की कालावधि देते हुए संपूर्ण ब्यौरे) :

7. मद क्रमांक 6 के आधार पर संगणना :

8. दायित्व संबंधी विवरण :

9. कुल रकम रुपये में (शब्दों तथा अंकों में) :

प्रति,

श्री ....

पता ....

यत: आपके परिसर में विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के मामले का पता चला है तथा ऐसे उपयोग के लिए रुपए . . . . की रकम निर्धारित की गई है, आपको, एतद्द्वारा, अनंतिम निर्धारण आदेश की तामील की जाती है, यदि आप यह निर्धारण स्वीकार करते हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस आदेश की तामील के सात दिन के भीतर निर्धारित रकम जमा कराएँ.

कृपया ध्यान दें, कि आपके द्वारा अनंतिम निर्धारण के आदेश को स्वीकार करने की दशा में आप किसी भी अतिरिक्त दायित्व या किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी कार्यवाई के अध्यधीन नहीं होंगे.

उपरोक्त निर्धारण में कोई आपत्ति होने की दशा में आप इस आदेश की तामील की तारीख से सात दिन के भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे, जिसमें असफल होने पर यह अनंतिम आदेश स्वत: अंतिम आदेश हो जाएगा.

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
स्थान या परिसर पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति/ अधिभोगी का नाम	निर्धारण अधिकारी का नाम ....
	पदनाम ....
	मुद्रा

अनंतिम निर्धारण आदेश की प्राप्ति से इंकार करने की दशा में पृष्ठांकन

इंकार करने की दशा में साक्षियों के हस्ताक्षर :

(1) हस्ताक्षर	(2) हस्ताक्षर
नाम	नाम ....
पता	पता ....

No. 4300-XIII 2004.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 126 read with Section 180 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) the State Government hereby makes the following rules, namely:—

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Electrictiy (Service of Provisional Assessment Order) rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Electrictiy Act, 2003 (No. 36 of 2003);

(b) "Form" means the Form appended to these rules;